उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्याः– ——/VIII/19–331(श्रम)/2002
देहरादून, दिनांकः 4 अक्टूबर, 2019

अधिसूचना

उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा–शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018) की धारा– 26 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल, राज्य के 12 जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायत के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के पद/स्थानों पर प्रथम चरण दिनांक 05.10.2019 (शनिवार) द्वितीय चरण दिनांक 11.10.2019 (शुक्रवार) एवं तृतीय चरण दिनांक 16.10.2019 (बुधवार) को मतदान हेतु उक्त संबंधित क्षेत्र में स्थित समस्त कारखानों/दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में मतदान के दिन दिनांक 05.10.2019, दिनांक 11.10.2019 एवं दिनांक 16.10.2019 को, उक्त अधिनियम की धारा–26 के उपबन्धों के अधीन, यदि उक्त दिवस को ऐसे कारखाने/दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो तो मतदान के दिवस को बंदी दिवस के रूप में मनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

संख्या 1346(1)/VIII/19–331(श्रम)/2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को जन–सामान्य में प्रचार–प्रसार कराये जाने हेतु।
5. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड को सचिव (प्रभारी), सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 23.09.2019 की प्रति इस निर्देश से प्रेषित कि उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा–शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018) की धारा–26 के उपबन्ध के अनुपालन में संबंधित क्षेत्र में स्थित समस्त कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठान/स्थापनों में कार्यरत कार्मिकों को मतदान की तिथि दिनांक 05.10.2019, दिनांक 11.10.2019 एवं दिनांक 16.10.2019 को सवेतन अवकाश उपलब्ध कराने हेतु सर्व संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. उप/सहायक निदेशक, कारखाना/बॉयलर, उत्तराखण्ड।
7. उप/सहायक श्रमायुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।